



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170।

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2011/माघ 12, 1932

No. 170।

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2011/MAGHA 12, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2011

का.आ. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) को धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 1 जनवरी, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग को अधिसूचना संख्या का.आ. 1(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2010 को विखण्डित करती है तथा 1 अप्रैल, 2011 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010 पार्ट]

राकेश ककड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2011

S.O. 210(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, number S.O. 1(E), dated the 31st December, 2010, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 1st January, 2011, hereby appoints the 1st day of April, 2011, the date on which the said Act, shall come into force.

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.